

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।  
पत्रांक-593/11-सी-FP/UP/Road/147942/2021, लखनऊ, दिनांक: अगस्त 30, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),  
भारत सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र),  
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- जनपद आगरा के अन्तर्गत उ०प्र० राज्य सेतु लि०, आगरा में एन०एच०-2 से एन०एच०-3 को जोड़ने हेतु  
रूनकता से रोहता मार्ग (दक्षिणी बॉईपास) पर ईदगाह-बयाना रेल सेक्शन के कि०मी० 73/7-8 पर स्थित  
सम्पार संख्या-11सी/2टी पर 04 रेल उपरिगामी के निर्माण हेतु 0.06400 हे० संरक्षित वनभूमि (आगरा टर्मिनल  
डिस्ट्रीब्यूटरी नहर के मील 11 पर) गैर वानिकी प्रयोग एवं 26 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लांट की अनुमति के  
सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं० FP/UP/Road/147942/2021)

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक-8बी०/यू०पी०/06/145/2022/एफ०सी०/276, दिनांक-02.08.2023

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। वन संरक्षक, आगरा  
वृत्त, आगरा ने अपने पत्रांक-664/14-1 दिनांक 28.08.2024 द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड किया गया है तथा  
प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment  
portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि अपलोड है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर इस  
अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

(प्रमोद कुमार गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या-593/11-सी FP/UP/Road/147942/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, आगरा।
- 3- अवर अभियन्ता (सि०) उ०प्र० राज्य सेत निगम लि०, आगरा।

(प्रमोद कुमार गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या-593/11-सी FP/UP/Road/147942/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, लखनऊ को  
उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रमोद कुमार गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

# कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक

/14-1(147942/2021), आगरा, दिनांक, २४ अगस्त, 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :- जनपद आगरा के अन्तर्गत उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि० आगरा में एन०एच०-२ से एन०एच०-३ को जोड़ने हेतु रूनकता से रोहता मार्ग (दक्षिणी बाईपास) पर ईशगाह-बयाना रेल सेक्शन के किमी० 73/7-3 पर स्थित सम्पार संख्या-11सी/2टी पर 04 लेन रेल उपरिगामी के निर्माण हेतु 0.06400 हे० संरक्षित वनभूमि (आगरा टर्मिनल डिस्ट्रीक्टरी नहर के मील 11 पर) के गैर वानिकी प्रयोग एवं 26 वृक्षों के पातन/ट्रांशप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक-8वी०/२०पी०/06/145/2022/एफ.सी./273 दि० 02.08.2023 एवं आपके कार्यालय का पत्रांक 11-सी-325/147942/2021 दिनांक 04.08.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव की भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति सशर्त प्रदान की गई है। प्रस्ताव के शर्तों की विन्दुवार अनुपालन आख्या सम्बन्धित अभिलेखों, प्रमाण पत्र आदि सहित पोर्टल पर अपलोड कर प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा के पत्रांक 723/14-1 दिनांक 23.08.2024 (संलग्न है) द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुई है, के आधार पर आख्या निम्नवत् प्रेषित है :-

क्र०स०	शर्त	अनुपालन
1.	The legal status of the land remains unchanged	इस आशय की वचनबद्धता अपलोड है।
2.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 0.26 ha. Degraded Forest land in Mau Forest Block in Bainpur Range, Social Forestry Division District Agra at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.	शर्त के अनुपालन में क्षतिपूर्क वनीकरण की राशि रु० 2074000.00 ऑनलाइन पोर्टल से निर्गत चालान के माध्यम से दिनांक 13.09.2023 द्वारा जमा करा दी गयी है। चालान एवं पेमेन्ट हिस्ट्री की छायाप्रति अपलोड है।
3.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	शर्त का अनुपालन किया गया है।
4.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.06400 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guideline+s issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC(Pt.II) dated 18-09-2003 as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009	शर्त के अनुपालन में एन०पी०वी० की राशि रु० 61298.00 ऑनलाइन पोर्टल से निर्गत चालान के माध्यम से दिनांक 13.09.2023 द्वारा जमा करा दी गयी है। चालान एवं पेमेन्ट हिस्ट्री की छायाप्रति अपलोड है।
5.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	As per compliance 5 U.P. State Bridge Corporation Ltd. Agra hereby undertakes that the additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, will be paid to the State Government by the U.P. State Bridge Corporation Ltd. Agra.

6.	The Penalty for violation shall be equal to five times NPV of forest land per hectare plus 12 percent simple interest till the deposit is made. Amount towards Penal NPV shall be deposited in CAMPA fund.	शर्त के अनुपालन में दण्डात्मक एनपीवी की राशि रु० 343270.00 ऑनलाइन पोर्टल से निर्गत बालान के माध्यम से दिनांक 13.09.2023 द्वारा जमा करा दी गयी है। बालान एवं पेमेन्ट हिस्ट्री की छायाप्रति अपलोड है।
7.	The U.P. State Bridge Corporation Ltd. Will not initiate any works in violation of the FCA, 1980 in future.	इस आशय की वचनबद्धता अपलोड है।
8.	No tree felling shall be done in the TTZ area during execution of the works without prior approval of Hon'ble Supreme Court.	प्रयोक्ता द्वारा मा० सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर ली गयी है। मा० न्यायालय के आदेश दिनांक 23.03.2022 के अनुपालन में 26 वृक्षों का पालन किया गया है।
9.	User agency shall restrict the felling of 26 trees/minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	इस आशय की वचनबद्धता अपलोड है।
10.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	सलग्न है।
11.	No Violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.	इस आशय की वचनबद्धता अपलोड है।
12.	The user agency shall provide suitable under/ over pass in Protected Area / Forest Area as per recommendations of CWLW/NBWL/FCA/REC.	इस आशय की वचनबद्धता अपलोड है।
13.	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	इस आशय की वचनबद्धता अपलोड है।
14.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	इस आशय की वचनबद्धता अपलोड है।
15.	No labour camp shall be established on the forest land.	इस आशय की वचनबद्धता अपलोड है।
16.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	इस आशय की वचनबद्धता अपलोड है।
17.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	इस आशय की वचनबद्धता अपलोड है।
18.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	इस आशय की वचनबद्धता अपलोड है।
19.	The period of diversion shall be co-terminus with period of lease to be granted in favor of user agency or the project life, whichever is less.	इस आशय की वचनबद्धता अपलोड है।
20.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	इस आशय की वचनबद्धता अपलोड है।
21.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	इस आशय की वचनबद्धता अपलोड है।
22.	The KML file of the area to be diverted, the Ca area, the proposed SME work, the proposed catchment Area Treatment Area and the WLMP area shall be uploaded on the e-green watch portal with the requisite detail before commencement of works	इस आशय की वचनबद्धता अपलोड है।
23.	Any order of Temporary work permission in case of linear projects for tree cutting and commencement of work as per clause 11.2 of FCA Guidelines shall be passed under intimation to Nodal office and this office. Order of Temporary work permission have to be uploaded on PARIVESH portal as well. Nodal Officer will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	इस आशय की वचनबद्धता अपलोड है।

24.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF& CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt. 29/01/2018	इस आशय की वचनबद्धता अपलोड है।
25.	Any other condition that the Ministry of environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation protection and development of forest & wildlife.	इस आशय की वचनबद्धता अपलोड है।
26.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in">https://parivesh.nic.in</a> ).	इस आशय की वचनबद्धता अपलोड है।
27.	The compliance report shall be uploaded on e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in">https://parivesh.nic.in</a> ).	अपलोड है।

प्रकरण में अनुरोध है कि विषयांकित प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ० अनिल कुमार पटेल)  
वन संरक्षक,  
आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक 664 / 141 समदिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा को उनके पत्र दिनांक 23.08.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

✓ प्रतिलिपि अवर अभियन्ता (सिविल), उ०प्र० राज्य सेतु निगम लिमिटेड, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ० अनिल कुमार पटेल)  
वन संरक्षक,  
आगरा वृत्त, आगरा।